भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 164
02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा सुविधाएँ

***164. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
श्री हरीभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रचालन क्षमता और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सन्दर्भ में, देश भर में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) इन एम्स में उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं/विशिष्ट उपचारों का ब्यौरा क्या है और रोगियों के आगमन और उपचार सम्बन्धी परिणामों के संबंध में आंकड़े क्या हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एम्स के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कितनी बजट धनराशि आवंटित/उपयोग की गई; और
(घ) संगत आंकड़ों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या लाभ प्राप्त किए जाने/गुणवत्ता में सुधार लाने के सम्बन्ध में एम्स के प्रभाव का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

02 अगस्त, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 164 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य देश में विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करना तथा गुणवत्तापरक चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं का संवर्धन करना है। इस स्कीम के तहत अब तक 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अनुमोदित किए गए हैं। एम्स (राज्यवार) में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के लिए पीएमएसएसवाई स्कीम का बजटीय ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	आबंटित बजट	कुल व्यय
2021-22	9601.31	9601.31
2022-23	8269.56	7744.92
2023-24	8635.00	8036.08

विभिन्न एम्स अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षण, ज्ञानार्जन तथा लोगों को रोगी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान ओपीडी और आईपीडी में क्रमश: 100,51,620 तथा 5,00,464 रोगियों ने उपचार कराया। वर्ष 2019 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा प्रथम छह एम्स के संबंध में तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देश में नए एम्स अपने-अपने क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुए हैं। इन एम्स की बदौलत किफायती तथा उच्च गुणवत्ता की सुपर स्पेशिएलिटी स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता होने से न केवल क्षेत्रीय असंतुलन ठीक हुआ है बल्कि ये एम्स बड़ी संख्या में छात्रों को उच्च गुणवत्ता की यूजी/पीजी मेडिकल तथा नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने में भी बहुत उपयोगी रहे हैं।

अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यशील एम्स के नाम और उनमें उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं/ स्पेशिएलिटी का विवरण

क्र.सं.	एम्स	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत बिस्तर क्षमता	प्रति वर्ष एमबीबीएस छात्रों का प्रवेश	प्रति वर्ष नर्सिंग (बीएससी) छात्रों का प्रवेश	स्पेशिएलिटी विभाग की संख्या	सुपर स्पेशिएलिटी विभाग की संख्या	ओपीडी मरीजों की संख्या (2023-24)	आईपीडी मरीजों की संख्या (2023-24)
1.	भोपाल	मध्य प्रदेश	960	125	90	18	17	10,54,668	58,762
2.	भुवनेश्वर	ओडिशा	960	125	75	18	17	12,08,054	39,288
3.	जोधपुर	राजस्थान	960	125	75	19	13	8,06,196	87,727
4.	पटना	बिहार	960	125	75	27	14	9,77,633	55,706
5.	रायपुर	छत्तीसगढ़	960	125	75	18	17	8,38,873	45,853
6.	ऋषिकेश	उत्तराखंड	960	125	100	18	18	6,82,318	63,179
7.	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	610	100	50	25	9	4,53,584	13,050
8	गोरखपुर		750	125	60	24	4	6,21,170	13,805
9.	नागपुर	महाराष्ट्र	960	125	40	27	14	5,80,395	22,869
10.	मंगलागिरी	आंध्र प्रदेश	960	125	50	26	13	5,12,593	14,767
11.	कल्याणी	पश्चिम बंगाल	960	125	60	24	15	4,04,259	100,23
12.	गुवाहाटी	असम	750	100	60	25	10	2,89,281	2,159
13.	बीबीनगर	तेलंगाना	750	100	30	21	10	3,65,395	7,953
14.	बठिंडा	पंजाब	750	100	60	26	13	7,48,691	40,441
15.	देवघर	झारखंड	750	125	60	15	7	1,63,086	1,906
16.	बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश	750	100	40	21	17	1,95,424	22,899
17.	राजकोट	गुजरात	750	50	-	23	1	1,50,000	77

****